

Letter of affiliation -B.A.

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.सं.979/जी0एस0 दिनांक 24.07.2006 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी के अनुसचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्र संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/684/2006 दिनांक 22.06.2006 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन राजकीय महाविद्यालय, पिहानी हरदोई को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 1116 /2004

दिनांक 12/8/06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पिहानी हरदोई को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।
2. उपकुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/684/2006, कानपुर ।
3. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/684/2006, कानपुर ।
4. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/684/2006, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव

प्र. 24
11/9/06

Letter of affiliation -B.Com.

प्रतिनिधि पत्र संख्या-ई.सं.1516/जी0एस0 दिनांक 15.09.2006 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी के अनुसूचि, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/684/2006 दिनांक 22.06.2006 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को धारा-37(2) के अधीन राजकीय महाविद्यालय, पिहानी हरदेई को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकायान्तर्गत वं0काम0 पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 1633 /2006 प्राप्त दिनांक 16/11/06

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

✓ प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, पिहानी हरदेई को इस आज्ञा से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों/इंगित शर्तों को पूर्ण/निरन्तरता बनाये रखने का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सूचित करना है कि प्रवेश शासनादेश संख्या-404/सत्तर-1-2006-17(18)05 दिनांक 28 मार्च 2006 तथा रिट याचिका संख्या-2830(एम0एस0)2004 में पारित निर्णय दिनांक 22.9.2005 के अधीन रहेगा । प्राचार्य, शिक्षकों की संख्या नामोल्लेख के साथ विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए ।

2. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर ।
3. इंजिन, इ0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर ।
4. उपकुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर ।

(महेश चन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि पत्र संख्या-367/सत्तर-5-2009-41(17)/05टीसी दिनांक 01.6.2009, द्वारा संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./845/2009 दिनांक 10.3.2009 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (यथा संशोधित) 1973 की धारा-37(2) के अधीन राजकीय महाविद्यालय, पिहानी, हरदोई को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में दिनांक 01.7.2009 से इस शर्त के साथ सम्बद्धता प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/2026/2009

दिनांक 03/07/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पिहानी, हरदोई को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।
2. उप कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)

कुलसचिव

o/c